

27/14/2012-एस0आर0एस0

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

सेवा मे,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ।

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड सरकार,
सचिवालय, देहरादून।

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक २५ जून 2013।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे लिए गए निर्णय के अनुसार श्रीमति अर्चना शर्मा, प्रवर सहायक, परिवहन विभाग, के प्रत्यावेदन का निपटान।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध मे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक मे श्रीमति अर्चना शर्मा, प्रवर सहायक के अंतिम आवंटन के बारे मे विचार किया गया। समिति को बताया गया कि श्रीमति शर्मा की नियुक्ति अपने पति के मृतक आश्रित की रूप में 1999 मे हुई थी। उनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिए विकल्प दिया गया था तथा वह उत्तराखण्ड राज्य की मूल निवासी हैं। महिला कार्मिक विकल्पानुसार राज्य आवंटन के पात्र होने के नाते समिति द्वारा उनका आवंटन उत्तराखण्ड राज्य के लिए किये जाने कि संस्तुति की गयी।

2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्रीमति अर्चना शर्मा, प्रवर सहायक, परिवहन विभाग का अंतिम आवंटन उत्तराखण्ड राज्य के लिए किया जाता है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Dept. of Personnel & Trg., L. P. Bldg.
प्राप्ति और विर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section

कार्मिक को निर्णय के बारे मे सूचित किया जाये।

०/१

26 JUN 2013 HK

जारी किया /ISSUED
प्रतिलिपि:-

भवदीय,
रामेश शर्मा
(सारंगधर नायक)

आवर सचिव, भारत सरकार

- (1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, 30 प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ।
- (2) श्रीमति हेमलता ढाँडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।